न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 334/2025

1. अनिता पत्नि राकेश कुमार, जाति सैनी, नि0 वार्ड नं0 22, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. ममता पत्नि दिनेश, जाति माली, नि0 पुराना बस स्टेण्ड के पास, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. तुलसी देवी पत्नि स्व0 विशम्भरलाल
3. मुकेश पुत्र स्व विशम्भरलाल
4. सुल्तान पुत्र स्व0 विशम्भरलाल
5. सुनिता पुत्री स्व0 विशम्भरलाल
   समस्त जातियान माली, नि0 पुराना बस स्टेण्ड के पास, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. राकेश पुत्र स्व विशम्भरलाल
7. हेमन्त पुत्र दिनेश उम्र व्यस्क
8. पीयूष पुत्र दिनेश उम्र व्यस्क
   समस्त जातियान माली, नि0 पुराना बस स्टेण्ड के पास, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 6232 तथा नामान्तरकरण आदेश दिनांक 03.11.2025 द्वारा तहसीलदार, झुंझुनूं।

––

उपस्थितः–

1. श्री रविराज सिंगोदिया, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री रवि कुमार, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 की ओर से उपस्थित।
3. पूनम, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 6 लगायत 8 की ओर से उपस्थित।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.04.2026

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 03.11.2025 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की ओर से अपील निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा विधि विरूद्व रूप से रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 8 के पक्ष मे नामान्तरकरण सं0 6232 दिनांक 03.11.2025 स्वीकृत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। कस्बा झुंझुनूं के ख0नं0 2376 लगायत 2381 कुल किता 6 कुल रकबा 5.7300 हैक्अर मे खातेदार काश्तकार श्री विशम्भरलाल पुत्र स्व0 सांवरमल का हिस्सा था जिसमे से श्री विशम्भरलाल ने अपने जीवनकाल मे 04 मार्च 2009 को सुनिता देवी पत्नि होशियार सिंह, जाति जाट, निवासी भेडा की ढाणी को जरिये रजि0 विक्रयपत्र 0.1488 है0 भूमि का बेचान कर दिया। उसके बाद श्री विशम्भरलाल ने उक्त ख0 नम्बर की भूमि मे से संयुक्त रूप से रतनी देवी, सत्यनारायण, रामस्वरूप, फूलचन्द के साथ 26 मार्च 2009 को 0.49 हैक0 भूमि का बेचान अमोलचन्द व जगनाराम पुत्रगण सागर, चुकली देवी पत्नि बनवारीलाल, ताराचन्द, राजकुमार पुत्र बनवारीलाल, अशोक कुमार पुत्र अमोलचन्द नि0 झुंझुनूं को बेचान कर दिया। इस प्रकार से खातेदार काश्तकार श्री विशम्भरलाल ने समय–समय पर अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान किया और खरीददारों ने अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे भी इन्द्राज करवा लिया। खातेदार काश्तकार श्री विशम्भरलाल ने अपने जीवनकाल मे उपरोक्त वर्णित ख0 नम्बर की भूमि मे अपना शेष बचा हिस्सा 7937/57300 को सम्पूर्ण अपीलान्ट्स को दिनांक 27.07.2020 के रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया। इस प्रकार से श्री विशम्भरलाल ने अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान विक्रेतागण व अपीलान्ट्स को कर दिया। स्व0 विशम्भरलाल की खातेदारी मे अब वर्णित ख0 नम्बरान् की भूमि ख0नं0 2376 लगायम 2381 मे कोई भूमि शेष नही बची है। विक्रय पत्र अपीलान्ट्स के हक मे तस्दीक हो जाने के बाद अपीलान्ट्स ने दिनांक 27.10.2020 को नामान्तरकरण की कार्यवाही अपने पक्ष मे तस्दीक करवाने हेतु तहसीलदार को विक्रय पत्र की फोटोप्रति के साथ आवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 27.10.20.20 को एलआर शाखा के नाम मार्किंग करते हुए नमान्तरकरण की कार्यवाही को अग्रसर हो गये। दिनांक 30.10.

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2020 को श्री विशम्भरलाल का देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद स्व. विशम्भरलाल के वारिसान ने स्व. विशम्भरलाल के द्वारा विक्रय की जा चुकी भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही अपने नाम से दिनांक 11.11. 2020 को नामान्तरकरण संख्या 4332 के माध्यम से विरासतन प्रक्रियाधीन करवाने का प्रयास किया जबकि स्व. विशम्भरलाल के द्वारा उनके जीवनकाल में ही अपनी खातेदारी भूमि का बेचान अपीलान्टस व अन्य विक्रेतागण को कर दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष इस प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण 4332 के संदर्भ में आपति प्रस्तुत की तो तहसीलदार महोदय ने प्रक्रियाधीन नामान्तकरण को निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा विधिविरूद्ध रूप से करवायी जा रही नामान्तरकरण 4332 की कार्यवाही खारिज हो जाने पर दिनांक 14.12.2020 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 सुल्तान के द्वारा अपने मृत पिता को प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में पक्षकार बनाते हुए घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा उनवानी सुल्तान/विश्म्भरलाल आदि मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष अपीलान्टस के पक्ष में स्व. विशम्भर द्वारा किये गये रजि. विक्रय पत्र के बेचान को छिपाते हुए पेश कर दिया और उसी रोज उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार से अपीलान्टस के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा इन्ही खसरा नम्बर की भूमि के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की अदालत में दिनांक 22.01.2021 को मुकेश आदि बनाम सुल्तान आदि के नाम से एक ओर दावा घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेघाज्ञा का दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया और इस दावे के पैरा नम्बर 7 में स्व. विशम्भरलाल के द्वारा दिनांक 27.07.2020 को अपीलान्टस के पक्ष में तस्दीक करवाये गये रजि. विक्रय पत्र का उल्लेख किया जिसे रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 सुल्तान ने अपने जबाब दावे में स्वीकर किया। इस प्रकार से स्व. विशम्भरलाल के विधिक वारिसान को इस तथ्य का पूर्व ज्ञान सदा से ही रहा है कि स्व. विशम्भरलाल ने अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान जरिये रजि. विक्रय पत्र कर दिया है। स्व. विशम्भरलाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के पास विरासतन नामान्तरकरण खुलवाने हेतु बाबत खसरा नम्बर 2376 लगायत 2381 में कोई भूमि नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 सुल्तान ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 तहसीलदार के समक्ष विरासतन नामान्तरकरण खुलवाने हेतु दिनांक 30.10.2025 को आवेदन पत्र पेश किया और उस आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.10.2025 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष पेश कर दी। साथ ही 50रूपये के नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेपर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सुल्तान के द्वारा एक शपथ पत्र भी दिनांक 17.10.2025 का तस्दीक किया हुआ पेश किया जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आधार बनाकर नामान्तरकरण संख्या 6232 को दिनांक 03.11.2025 को स्वीकृत कर लिया। जबकि स्व. विशम्भरलाल के विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 को इस बात की जानकारी सदैव से रही है कि स्व. विशम्भरलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी जायज जरूरतों की पूर्ति हेतु अपनी खातेदारी भूमि का बेचान अपीलान्टस व अन्य खरीदारान को जरिये रजि. विक्रय पत्र कर दिया फिर भी गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में यह नामान्तरकरण की कार्यवाही अपने नाम से तस्दीक करवा ली। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सुल्तान ने उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही तस्दीक करवाने से पूर्व उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद सुल्तान बनाम विशम्भरलाल आदि मुकदमा नम्बर 143/2020 के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 99/2020 में जिसमें अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.12.2020 को पारित किये गये आदेश को वेकेट करवाने के लिए टी.आई. ही दिनांक 26.09.2025 को विड्रा करवा ली। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने दुरभि संधि कर तथ्यों को छिपाते हुए पटवारी हल्का को मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 6232 स्वीकृत करवाया है। खसरा नम्बर 2376 लगायत 2381 में विशम्भरलाल के वारिसान ने जरिये विरासतन कोई भूमि शेष नहीं बची है किन्तु इस गलत नामान्तरकरण के आधार पर रजि. विक्रय पत्र के खरीददारों के हक अधिकार प्रभावित हुए है इसलिए विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 6232 खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा अवैधानिक रूप से स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 6232 आदेश दिनांक 03.11.2025 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित करें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा विधि विरूद्व रूप से रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 8 के पक्ष मे नामान्तरकरण सं0 6232 दिनांक 03.11.2025 स्वीकृत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। कस्बा झुंझुनूं के ख0नं0 2376 लगायत 2381 कुल किता 6 कुल रकबा 5.7300 हैक्अर मे खातेदार काश्तकार श्री विशम्भरलाल पुत्र स्व0 सांवरमल का हिस्सा था जिसमे से श्री विशम्भरलाल ने अपने जीवनकाल मे 04 मार्च 2009 को सुनिता देवी पत्नि होशियार सिंह, जाति जाट, निवासी भेडा की ढाणी को जरिये रजि0 विक्रयपत्र 0.1488 है0 भूमि का बेचान कर दिया। उसके बाद श्री विशम्भरलाल ने उक्त ख0 नम्बर की भूमि मे से संयुक्त रूप से रतनी देवी, सत्यनारायण, रामस्वरूप, फूलचन्द के साथ 26 मार्च 2009 को 0.49 हैक0 भूमि का बेचान अमोलचन्द व जगनाराम पुत्रगण सागर, चुकली देवी पत्नि बनवारीलाल, ताराचन्द, राजकुमार पुत्र बनवारीलाल, अशोक कुमार पुत्र अमोलचन्द नि0 झुंझुनूं को बेचान कर दिया। इस प्रकार से खातेदार काश्तकार श्री विशम्भरलाल ने समय–समय पर अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान किया और खरीददारों ने अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे भी इन्द्राज करवा लिया। खातेदार काश्तकार श्री विशम्भरलाल ने अपने जीवनकाल मे

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उपरोक्त वर्णित ख0 नम्बर की भूमि मे अपना शेष बचा हिस्सा 7937/57300 को सम्पूर्ण अपीलान्ट्स को दिनांक 27.07.2020 के रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया। इस प्रकार से श्री विशम्भरलाल ने अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान विक्रेतागण व अपीलान्ट्स को कर दिया। स्व0 विशम्भरलाल की खातेदारी मे अब वर्णित ख0 नम्बरान् की भूमि ख0नं0 2376 लगायम 2381 मे कोई भूमि शेष नही बची है। विक्रय पत्र अपीलान्ट्स के हक मे तस्दीक हो जाने के बाद अपीलान्ट्स ने दिनांक 27.10.2020 को नामान्तरकरण की कार्यवाही अपने पक्ष मे तस्दीक करवाने हेतु तहसीलदार को विक्रय पत्र की फोटोप्रति के साथ आवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 27.10.20.20 को एलआर शाखा के नाम मार्किंग करते हुए नमान्तरकरण की कार्यवाही को अग्रसर हो गये। दिनांक 30.10.2020 को श्री विशम्भरलाल का देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद स्व. विशम्भरलाल के वारिसान ने स्व. विशम्भरलाल के द्वारा विक्रय की जा चुकी भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही अपने नाम से दिनांक 11.11.2020 को नामान्तरकरण संख्या 4332 के माध्यम से विरासतन प्रक्रियाधीन करवाने का प्रयास किया जबकि स्व. विशम्भरलाल के द्वारा उनके जीवनकाल में ही अपनी खातेदारी भूमि का बेचान अपीलान्टस व अन्य विक्रेतागण को कर दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष इस प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण 4332 के संदर्भ में आपति प्रस्तुत की तो तहसीलदार महोदय ने प्रक्रियाधीन नामान्तकरण को निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा विधिविरूद्ध रूप से करवायी जा रही नामान्तरकरण 4332 की कार्यवाही खारिज हो जाने पर दिनांक 14.12.2020 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 सुल्तान के द्वारा अपने मृत पिता को प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में पक्षकार बनाते हुए घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा उनवानी सुल्तान/विश्म्भरलाल आदि मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष अपीलान्टस के पक्ष में स्व. विशम्भर द्वारा किये गये रजि. विक्रय पत्र के बेचान को छिपाते हुए पेश कर दिया और उसी रोज उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार से अपीलान्टस के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा इन्ही खसरा नम्बर की भूमि के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की अदालत में दिनांक 22.01.2021 को मुकेश आदि बनाम सुल्तान आदि के नाम से एक ओर दावा घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेघाज्ञा का दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया और इस दावे के पैरा नम्बर 7 में स्व. विशम्भरलाल के द्वारा दिनांक 27.07.2020 को अपीलान्टस के पक्ष में तस्दीक करवाये गये रजि. विक्रय पत्र का उल्लेख किया जिसे रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 सुल्तान ने अपने जबाब दावे में स्वीकर किया। इस प्रकार से स्व. विशम्भरलाल के विधिक वारिसान को इस तथ्य का पूर्व ज्ञान सदा से ही रहा है कि स्व. विशम्भरलाल ने अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान जरिये रजि. विक्रय पत्र कर दिया है। स्व. विशम्भरलाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के पास विरासतन नामान्तरकरण खुलवाने हेतु बाबत खसरा नंम्बर 2376 लगायत 2381 में कोई भूमि नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 सुल्तान ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 तहसीलदार के समक्ष विरासतन नामान्तरकरण खुलवाने हेतु दिनांक 30.10.2025 को आवेदन पत्र पेश किया और उस आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.10.2025 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष पेश कर दी। साथ ही 50रूपये के नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेपर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सुल्तान के द्वारा एक शपथ पत्र भी दिनांक 17.10.2025 का तस्दीक किया हुआ पेश किया जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आधार बनाकर नामान्तरकरण संख्या 6232 को दिनांक 03.11.2025 को स्वीकृत कर लिया। जबकि स्व. विशम्भरलाल के विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 को इस बात की जानकारी सदैव से रही है कि स्व. विशम्भरलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी जायज जरूरतों की पूर्ति हेतु अपनी खातेदारी भूमि का बेचान अपीलान्टस व अन्य खरीदारान को जरिये रजि. विक्रय पत्र कर दिया फिर भी गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में यह नामान्तरकरण की कार्यवाही अपने नाम से तस्दीक करवा ली। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सुल्तान ने उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही तस्दीक करवाने से पूर्व उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद सुल्तान बनाम विशम्भरलाल आदि मुकदमा नम्बर 143/2020 के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 99/2020 में जिसमें अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.12.2020 को पारित किये गये आदेश को वेकेट करवाने के लिए टी.आई. ही दिनांक 26.09.2025 को विड्रा करवा ली। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने दुरभि संधि कर तथ्यों को छिपाते हुए पटवारी हल्का को मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 6232 स्वीकृत करवाया है। खसरा नम्बर 2376 लगायत 2381 में विशम्भरलाल के वारिसान ने जरिये विरासतन कोई भूमि शेष नहीं बची है किन्तु इस गलत नामान्तरकरण के आधार पर रजि. विक्रय पत्र के खरीददारों के हक अधिकार प्रभावित हुए है इसलिए विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 6232 खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा अवैधानिक रूप से स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 6232 आदेश दिनांक 03.11.2025 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित करें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि कस्बा झुंझुनू ने खसरा नम्बर 2376 लगायत 2381 कुल किता 6 कुल रकबा 5.7300 हैक्टर खातेदार काश्तकार श्री विशम्बरलाल पुत्र सांवरमल के नाम राजस्व रिकार्ड हिस्सा था, इसलिए यह जमीन पैत्रिक है। जिसमें विशम्बर का 1/6 हिस्सा है। संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार है। उक्त जमीन का मौखिक बंटवारा हो चुका है जिसपर सभी खातेदार अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है। विशम्बर के 4 पुत्र सुल्तान, मुकेश, राकेश, दिनेश

जिला कलक्टर झुंझुनूं

व 1 पुत्री सुनिता है जिसमें से दिनेश की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए दिनेश के हक हिस्से के वारिसान उसकी पत्नी ममता, पुत्र पियुष व हेमंत है। उक्त जमीन में अब विशम्बर का कोई शेष हिस्सा नहीं था, विशम्बर को 1/6 से ज्यादा हक हिस्से को बेचने का हक नहीं था। विशम्बर की मृत्यु के पश्चात उक्त जमीन सभी वारिसान के ईतकाल में दर्ज हुआ है, जो सही हुआ है व हक हिस्से के अनुसार हुआ है। विशम्बर को अपने हक हिस्से से ज्यादा जमीन को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। यदि उक्त व्यक्ति हक हिस्से से ज्यादा विक्रय करता है तो वो शुन्य है तथा उक्त विक्रय का अन्य हिस्सेदारों के हक हिस्से पर कोई असर नहीं होता। विशम्बर के मौजूदा वारिसान निम्न है तुलसी देवी पत्नी, सुल्तान पुत्र, मुकेश पुत्र, सुनिता पुत्री, राकेश पुत्र, दिनेश पुत्र फौत के वारिसान ममता, पियुष, हेमंत है। उक्त जमीन का विक्रय विशम्बर ने अपनी पुत्रवधु अनिता पत्नी राकेश, ममता पत्नी स्व. दिनेश के नाम विक्रय पर करवाई है। जो शुन्य है क्योकि वारिसान में ममता का वारिसान में नाम चढा है। उक्त विक्रय षडयंत्र पूर्वक किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नियामानुसार विशम्बर के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 8 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने विशम्बर के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण अदालत मातहत द्वारा विशम्बरलाल के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 6232 स्वीकृति दिनांक 03.11.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण में अपीलान्टस का अहम तर्क यह रहा है कि उक्त विशम्बरलाल ने विवादित आराजी के संबंध में एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्टस के हक तस्दीक करवाया था जिसका नामान्तरकरण अदालत मातहत द्वारा तस्दीक नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलान्टस के तर्क सही प्रतीत होते है। साथ ही उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का खण्डन भी रेस्पोडेन्ट ने नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के नामान्तरकरण संख्या 6232 दिनांक 03.11.2025 बाबत ग्राम झुंझुनू को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं